

लोक अदालत स्कीम, 1997
LOK ADALAT SCHEME, 1997

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 1998

फा. नं. 39-स्था-रा.वि. से.प्रा. 97-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम :-

इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक अदालत स्कीम, 1997 है.

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, या यथास्थिति जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या यथा स्थिति तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष;

(ग) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;

(घ) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;

(घघ) "मुख्य संरक्षक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(ङ.) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;

(च) "तालुक विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति;

(छ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इस स्कीम में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं वही अर्थ होगा जो कि उन्हें इस अधिनियम में क्रमशः दिया गया है.

BHOPAL, THE 3RD JANUARY, 1998

F.No. 38&Estt--SLSA 97. In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 2 read with Clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Authority hereby makes the following scheme nemely-

1. Short Title :-

This Scheme may be called the Lok Adalat Scheme, 1997.

2. Definitions :-

In these Rules, unless the context otherwise requires —

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987);

(b) "Chairman" means the Executive Chairman of the State Authority, or, as the case may be, the Chairman of the District Authority, or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee;

(c) "District Authority" means the District Legal Service Authority constituted under Section 9 of the Act;

(d) "High Court Legal Services Committee" means a High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act;

(dd) "Patron-in-Chief" means the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court;

(e) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted under section 6 of the Act;

(f) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under Section 11-A of the Act;

(g) Words and expressions used in this scheme but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. लोक अदालत आयोजित करने के लिए प्रक्रिया:—

- (1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियमित अन्तरालों पर लोक अदालत संयोजित तथा आयोजित करेगा; परन्तु यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसे समुचित संख्या में मामले निर्दिष्ट होने पर या अन्यथा उन्हें लिए जाने के लिए उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र लोक अदालत बुला सकेगा.

2. राज्य प्राधिकरण को प्रज्ञापना :—

- (1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को, लोक अदालत का आयोजन करने के प्रस्ताव के बारे में ऐसी तारीख से पूर्व जबकि ऐसी लोक अदालत आयोजित की जाना प्रस्तावित है, सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :—
 - (एक) वह स्थान तथा तारीख जिस पर लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है;
 - (दो) लोक अदालत के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तावित मामलों के प्रवर्ग तथा उनकी विषयवार प्रकृति जैसे लम्बित मामले या मुकदमेबाजी से पूर्व के विवाद या दोनों;
 - (तीन) लोक अदालत के समक्ष लिये जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या;
 - (चार) कोई अन्य जानकारी जो कि अदालत को बुलाने तथा आयोजित किए जाने के लिए सुसंगत हो.

4. संबंधित पक्षकारों को सूचना :—

यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जो लोक अदालत का संयोजन तथा आयोजन करेगा ऐसे प्रत्येक मुकदमेबाज को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया हो ठीक समय में जानकारी देगा जिससे लोक अदालत के लिए स्वयं की तैयारी करने को उसे अवसर प्राप्त हो सके.

3. Procedure for organising Lok Adalat :—

- (1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall convene and organise Lok Adalats at regular intervals;

Provided that the Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall convene a Lok Adalat as soon as sufficient number of cases referred to it under section 20 of the Act or otherwise are available for being taken up

(2) Intimation to the State Authority :—

- (1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be shall inform the State Authority about the proposal to organise the Lok Adalat well before the date on which the Lok Adalat is proposed to be organised and furnish the following information to the State Authority—
 - (i) The place and the date at which the Lok Adalat is proposed to be organised;
 - (ii) Categories and subjectwise nature of cases, viz pending cases or pre-litigation disputes, or both, proposed to be placed before the Lok Adalat;
 - (iii) Number of cases proposed to be brought before the Lok Adalat;
 - (iv) Any other information relevant to the convening and organising of the Lok Adalat.

4. Notice of the parties concerned :—

The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, convening and organising the Lok Adalat shall inform every litigant, whose case is referred to the Lok Adalat, well in time so as to afford him, on opportunity to prepare himself for the Lok Adalat.

स्पष्टीकरण :- लंबित मामलों में, काउन्सेल को दी गई सूचना मुकदमेबाज की दी गई जानकारी समझी जाएगी.

5. लोक अदालत की संरचना :-

(1) उच्च न्यायालय स्तर पर— लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से, लोक अदालतों की पीठ गठित करेगा, प्रत्येक पीठ में निम्नलिखित में से दो या तीन समाविष्ट होंगे—

(एक) उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(दो) विधिक व्यवसाय का एक सदस्य; और

(तीन) विधिक क्षेत्र में कोई अन्य ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या कोई सामाजिक कार्यकर्ता

(2) जिला स्तर पर— लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन से, लोक अदालत की पीठ गठित करेगा, प्रत्येक पीठ में निम्नलिखित में से दो या तीन समाविष्ट होंगे:-

(एक) सेवारत या सेवानिवृत्त कोई न्यायिक अधिकारी;

(दो) विधिक व्यवसाय का एक सदस्य और

(तीन) विधिक क्षेत्र में कोई अन्य ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या कोई सामाजिक कार्यकर्ता।

(3) तालुक स्तर पर- लोक अदालत आयोजित करने वाली तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालत की पीठ गठित करेगा, प्रत्येक पीठ में निम्नलिखित में से दो या तीन समाविष्ट होंगे —

(एक) सेवारत या सेवानिवृत्त कोई न्यायिक अधिकारी;

(दो) विधिक व्यवसाय का एक सदस्य; और

(तीन) क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता या पैरा लीगल.

6. अभिलेखों का बुलाना तथा उसकी सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व :-

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, संबंधित न्यायालय से उन लंबित मामलों के जो कि धारा 20 के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किये गये हैं न्यायिक अभिलेख मांग सकेगा.

(2) यदि मुकदमेबाजी से पूर्व कोई मामला लोक अदालत को विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो यथास्थिति उच्च न्यायालय

Explanation :- In pending matters, notice to the Counsel may be treated as information to litigant.

5. Compostition of the Lok Adalat :-

(1) **At High Court level :** The Secretary of the High Court Legal Services Committee Organising the Lok Adalat shall with the approval of the Chief Justice constitute Benches of the Lok Adalats, each bench comprising two or three of the following —

(i) A sitting or retired judge of the High Court;

(ii) A member of the legal profession; and

(iii) Any other eminent person in the field of law or a social worker.

(2) **At District Level :** The Secretary of the District Authority organising the Lok Adalat shall with the approval of the chairman constiute Benches of the Lok Adalats each Bench comprising two or three of the following:-

(i) A sitting or retired Judicial Officer.

(ii) A member of the legal profession; and

(iii) Any other eminent person in the field of law or a social worker.

(3) **At Taluk Level :** The Chairman of the Taluk Legal Services Committee organising the Lok Adalst shall Constitute Benches of the Lok Adalat, each Bench comprising two or three of the following:-

(i) A sitting or retired Judicial Officer;

(ii) A member of the legal profession; and

(iii) A social worker or para legal of the area.

(6) Summoning of Records and the responsibility for its safe custody :-

(1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, may call for the judicial records of those pending cases which are referred to the Lok Adalat under Section 20 of the Act from the concerned Courts.

(2) If any matter is referred to the Lok Adalat at the prelitigation state, the version of each

विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक पक्षकार का प्राधिकृत विवरण लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त किया जाएगा।

- (3) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिलेखों को उस समय से जबकि वे न्यायालय से प्राप्त हों, तथा उस समय तक जब तक कि वे लौटा न दिए जाएं सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) प्रत्येक न्यायिक प्राधिकारी न्यायालय अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करेगा।
- (5) लोक अदालत हो जाने के अव्यवहित पश्चात् न्यायिक अभिलेख इस बात के होते हुए भी लौटा दिए जायेंगे चाहे मामला लोक अदालत द्वारा निपटाया गया हो या नहीं, साथ में कार्यवाही के परिणाम के बारे में एक पृष्ठांकन भी होगा।

7. लोक अदालत का कार्य करना :—

- (1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति अध्यक्ष से आदेश अभिप्राप्त होने के पश्चात मामले लोक अदालत की पीठों को सौंपेगा।
- (2) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालत की प्रत्येक पीठ के लिए एक वाद सूची तैयार करेगा और वह सभी संबंधित को सम्यक् रूप से अधिसूचित की जाएगी।
- (3) लोक अदालत की प्रत्येक पीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में बिना किसी विबाध्यता, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्यपदेशन के सुलह समझौता कराने का निष्कपट प्रयास करेगी।

8. लोक अदालत लगाया जाना :—

लोक अदालत ऐसे समय तथा स्थान पर अवकाश वाले शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों पर आयोजित की जाएगी जैसा कि यथास्थिति राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति जो लोक अदालत का आयोजन करती है, उपयुक्त समझें।

party shall be obtained by the Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, to be placed before the Lok Adalat.

- (3) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be shall be responsible for the safe custody of the records from the time he receives them from the court till they are returned.
- (4) Each Judicial authority to co-operate in transmission of the Court records.
- (5) The Judicial records shall be returned immediately after holding the Lok Adalat, irrespective of whether or not the case is settled by the Lok Adalat with an endorsement about the result of the proceedings.

7. Functioning of the Lok Adalat :—

- (1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall assign cases to the benches of the Lok Adalat after obtaining orders from the Chairman, as the case may be.
- (2) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, may prepare a cause list for each bench of the Lok Adalat and the same shall be duly notified to all concerned.
- (3) Every Bench of the Lok Adalat shall make sincere efforts to bring about a conciliatory settlement in every case put before it without any duress threat or undue influence, allurements or misrepresentation.

8. Holding of Lok Adalat :—

A Lok Adalat may be organised at such time and place, on closed Saturdays, Sundays and holidays as the State Authority, High Court Legal Services Committee, District Authority, Taluk Legal Services Committee, as the case may be, organising the Lok Adalat deems appropriate.

9. लोक अदालत में समझौता या निपटारा कराने के लिए प्रक्रिया :—

- (1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश गठित की गई लोक अदालत के पेनल द्वारा हस्ताक्षरित होगा.
- (2) मूल अधिनिर्णय या आदेश न्यायिक अभिलेख का भाग होगा और अधिनिर्णय या आदेश की एक प्रति प्रत्येक पक्षकारों को दी जाएगी, जो लोक अदालत पीठ द्वारा सत्यप्रति के रूप में सम्यक रूप से सत्यापित की जाएगी.

10. अधिनिर्णय/आदेश विशिष्ट तथा स्पष्ट होगा :—

- (1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश/विशिष्ट तथा स्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में उपयोग की गई भाषा में लिखित होगा.
- (2) लोक अदालत के अधिनिर्णय या आदेश पर विवाद के पक्षकारों से यथास्थिति अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे के निशान लगाने की अपेक्षा की जाएगी.

11. परिणामों का संकलन :—

लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्न प्रारूप में परिणामों को संकलित करेगा.

12. लोक अदालत के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द को मानदेय :—

- (1) लोक अदालत की पीठ का प्रत्येक सदस्य ऐसे वाहन भत्ते का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया जाए.
- (2) तालुक और जिला स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर पर मानदेय का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत की जाए.
- (3) उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर से मानदेय का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत की जाए.

13. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट किए गए मामलों के अभिलेख बनाए रखने की प्रक्रिया :—

9. Procedure for effecting compromise or settlement at Lok Adalat :—

- (1) Every Award or order of the Lok Adalat shall be signed by the panel constituting the Lok Adalat.
- (2) The original award or order shall form part of the judicial records and a copy of the award or order shall be given to each of the parties duly certified to be true by the Bench of Lok Adalat.

10. Award/Order to be categorical and lucid:—

- (1) Every Award or order of the Lok Adalat shall be categorical and lucid and shall be written in the language used in the local courts.
- (2) The parties to the dispute shall be required to affix their signatures or, as the case may be, thumb impression on the award or order of the Lok Adalat.

11. Compilation of results :—

At the conclusion of session of the Lok Adalat, the Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the chairman of the Taluk Legal Service Committee, as the case may be, shall compile the results in the Annexed proforma for submission to the State Authority.

12. Remunerations to officers & staff of the Lok Adalat :—

- (1) Every member of the Bench of Lok Adalat shall be entitled to conveyance allowance, as may be fixed by the Patron-in Chief.
- (2) The Presiding Officer of the Lok Adalats held at Taluk and District Levels shall also be entitled to honorarium at the rate as may be fixed by the Patron-in-chief.
- (3) The Presiding Officer for the Lok Adalats held at High Court Level shall also be entitled to honorarium at such rates as may be fixed by the Patron-in-Chief.

13. Procedure for maintaining record of cases referred under section 20 of the Act or otherwise :—

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत को बतौर निर्देश के उसके द्वारा प्राप्त समस्त मामले निम्नलिखित विवरण देते हुए प्रविष्ट किए जाएंगे—

(एक) प्राप्ति की तारीख;

(दो) मामले का प्रवर्ग तथा विषयवार प्रकृति;

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो कि आवश्यक समझी जाएं; और

(चार) समझौते की तारीख तथा फाईल वापसी की तारीख.

(2) जब लोक अदालत द्वारा मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाय तब रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि की जाएगी.

14. बजट :—

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण, लोक अदालत स्कीम के संबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे.

(2) तालुक विधिक सेवा समिति, लोक अदालत स्कीम के संबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर, बजट प्रस्ताव जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी.

(3) लोक अदालत स्कीम के लिए व्यय "योजना" व्यय होगा और यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों में से किया जा सकेगा.

15. लेखाओं का रखा जाना :—

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत पर उपगत होने वाले व्यय पर सम्पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करेगा.

(2) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव राज्य प्राधिकरण को प्रत्येक तिमाही में सही तथा उचित लेखे प्रस्तुत करेगा.

(1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall maintain a Register wherein all the cases received by him by way of reference to the Lok Adalat shall be entered giving particulars of the —

(i) Date of the receipt;

(ii) Category and subjectwise nature of the case;

(iii) Such other particulars as may be deemed necessary; and

(iv) Date of Settlement and return of the case file;

(2) When the case is finally disposed of by the Lok Adalat, an appropriate entry will be made in the register.

14. Budget :—

(1) The High Court Legal Services Committee and the District Authority shall submit the Budget proposals to the State Authority on financial year basis in respect of the Lok Adalat Scheme.

(2) The Taluk Legal Services Committee shall submit the Budget proposals to the District Authority of financial year basis in respect of the Lok Adalat Scheme.

(3) The expenditure for Lok Adalat Scheme shall constitute 'Plan' expenditure and may be made out of the grants received by the High Court Legal Services Committee and the District Authority and the Taluk Legal Services Committee, as the case may be.

15. Maintenance of Accounts :—

(1) The Chairman of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall exercise complete and full control over the expenditure to be incurred on the Lok Adalats.

(2) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority, as the case may be, shall render true and proper accounts to the State Authority every quarter.

- (3) तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, प्रत्येक माह जिला प्राधिकरण को सही तथा उचित लेखा प्रस्तुत करेंगे।

16 निधि :-

यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति से प्राप्त अनुरोध पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत बुलाने तथा चलाने के लिए यदि आवश्यक समझा जाए, विशेष अनुदान मंजूर कर सकेगा -

- (1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध करायेगा जो कि आवश्यक हो.

- (2) लोक अदालतें गैर समारोह रीति में आयोजित की जाएंगी.

लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए प्रारूप

संक्रमण क्रमांक	स्थान का नाम	लोक अदालत आयोजित करने की तारीख	निपटारे गए मामलों की संख्या	सिविल दावा	आपराधिक
1	2	3	4	5	6

योग

एन.के. जैन, सदस्य सचिव,

- (3) The Chairman of the Taluk Legal Services Committee shall render true and proper accounts to the District Authority every month.

16. Funding :—

On a request received from the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, the State Legal Services Authority may release special grants for convening and holding of Lok Adalats, if considered necessary:-

- (1) The Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall provide all assistance as may be necessary to the Lok Adalats.

- (2) Lok Adalats shall be held in a non ceremonial manner.

PROFORMA
For Disposal of cases in Lok Adalat

S.No.	Name of Place	Date of Holding of Lok Adalat	No. of cases Disposed of		
			Civil	Claims	Criminal
1	2	3	4	5	6

Total

N.K. Jain, Member Secy.